वर्ष: 02 अंक: 11

आयोग की मासिक पत्रिका

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूज़लेटर - मई - 2023

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर

वर्ष: 02 अंक: 11

मई 2023

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

@srajeshranjan

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से लगातार हर माह मासिक पत्रिका प्रकाशित करने का सिलसिला जारी है। आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का यह 23वां अंक है। अभी तक आप सभी के सहयोग व मार्गदर्शन से सफलतापूर्वक 22 अंकों का प्रकाशन किया जा चुका है। मासिक पत्रिका के इस अंक में हमने आयोग द्वारा बिहार राज्य के राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक, दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में युवती के हत्या मामले में स्थलीय निरीक्षण समेत देश भर के कई बड़े मामलों को शामिल किया है।

साथ ही सोशल मीडिया द्वारा मिली जानकारी के आधार पर लिए गए संज्ञान के मामले को भी पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा मई माह के दौरान मीडिया में प्रकाशित आयोग की खबरों की क्लिपिंग को भी प्रकाशित किया गया है। आशा है मासिक पत्रिका के जरिए आपको जानकारी मिलती रहे और पत्रिका प्रकाशन में आपका सहयोग मिलता रहे।

धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

श्री विजय सांपला
अध्यक्ष

श्री अरूण हालदार
उपाध्यक्ष

डॉ. अंजू बाला
सदस्या

श्री सुभाष रामनाथ पारधी
सदस्य

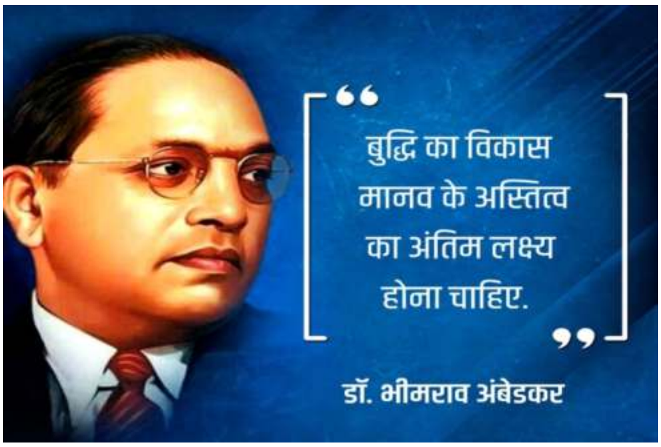

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का संदेश

श्री विजय सांपला
अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के 23वें अंक के लिए संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आयोग अनसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मई माह के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बिहार राज्य का दो दिवसीय दौरा किया। इस दौरान आयोग ने बिहार राज्य की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से जानकारी मिली कि प्रशासन राज्य और केंद्र सरकारों की सामाजिक, आर्थिक व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों तक पहुंचाने में विफल रहा है। इतना ही नहीं आंकड़ों से यह जानकारी भी मिली कि अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही योजनाओं में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। आयोग ने इस सभी कमियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए।

इसके अलावा मई माह में आयोग ने कई मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया है। इसमें छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिलाने का मामला सबसे बड़ा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा राज्य सरकार की ओर से आंकड़े प्रस्तुत कर जानकारी दी गई कि सभी लंबित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामलों को सफलतापूर्वक निपटा दिया गया है। साथ ही आन्ध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के एक होटल में माननीय डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर छपी कागज की प्लेटो पर भोजन परोसने के मामले में की गई एफआईआर को निरस्त करने के मामले शामिल हैं। इस मामले में की गई कार्रवाई से आयोग संतुष्ट है। इसलिए अब इस मामले की फाइल को बंद कर दिया गया है।

आयोग ने ऐसे ही कई और मामलों को सफलतापूर्वक निपटारा किया है जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को जल्द न्याय मिला। लोगों से मिली शिकायतों, मीडिया-सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट की गई ऐसी घटनाओं पर आयोग ने पूर्ववत ही संज्ञान लिया और नोटिस जारी किए। कई मामलों में आयोग के दल ने घटना की पूर्ण जानकारी लेने के लिए स्थलीय निरीक्षण भी किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग की प्रतिबद्धता है कि शहरों से लेकर दूरस्थ गांवों में रह रहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाया जा सके। इसके लिए आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है। मासिक पत्रिका को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग पूर्ववत वांछनीय रहेगा।

जय हिंद !
सादर धन्यवाद

विजय सांपला
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

समीक्षा बैठक

अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपराध में बिहार है नंबर 2

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल बिहार पहुंचा। आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला की अगुवाई वाले इस दल में माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी भी शामिल रहे। समीक्षा बैठक में आयोग के संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, निदेशक श्री कौशल कुमार, बिहार (पटना) राज्य कार्यालय निदेशक श्री संजय कुमार सिंह, उपनिदेशक श्री दिनेश व्यास, सलाहकार श्री अजित कुमार साहू समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बिहार सरकार की ओर से मुख्य सचिव,पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), प्रमुख सचिवों और बिहार सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा बिहार सरकार की दो दिवसीय समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के प्रथम चरण में बिहार के अनुसूचित जाति के सांसदों, विधायकों एवं अनुसूचित जाति कल्याण संघों के प्रतिनिधियों व एनजीओ के साथ बैठक कर राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय की वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई। बैठक के दूसरे चरण में आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारीयों के साथ अनुसूचित जाति समुदाय के लिए विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कल्याण संबंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद माननीय अध्यक्ष ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''अनुसूचित जाति के खिलाफ हत्या समेत अन्य अपराधों के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।''

समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने किया बिहार का दौरा

बिहार राज्य के दो दिवसीय राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने कहा कि समीक्षा बैठक में बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से जानकारी मिली है कि प्रशासन राज्य और केंद्र सरकारों की सामाजिक, आर्थिक व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों तक पहुंचाने में विफल रहा है।

उन्होंने कहा कि आयोग को मिली जानकारी के अनुसार पिछले कई वर्षों से राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कई पद खाली पड़े हैं। राज्य को उन पदों को भरने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की छात्रवृत्ति योजना में बहुत कमी पाई गई है। आंकड़ों के मुताबिक सारे 400000 अनुसूचित जाति के बच्चों में मात्र 70000 को ही स्कॉलरशिप मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति के लिए जो पोर्टल है वह साल में कभी भी बंद नहीं होता और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक निरंतर खुला रहता है आखिरी दिन भी यदि छात्र आवेदन करता है तो उसे छात्रवृत्ति दी जाती है।

ऐसा भारत सरकार का प्रावधान है जबकि बिहार में पोर्टल कई दिनों तक बंद रहा। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में अनुसूचित जातियों की नौकरियों में भी बड़ा बैकलॉग है।

बिहार सरकार से बैकलॉग का आंकड़ा मांगा गया है जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। सभी विभाग में बैकलॉग है।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए बिहार में विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मांगी गई है लेकिन बिहार सरकार के किसी भी विभाग ने अब तक जानकारी नहीं दी है।

अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही योजनाओं में बहुत सारी कमियां नजर आई हैं। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित जातियों के मर्डर रेट में भी बिहार का देश में दूसरा स्थान है जो कि एक गंभीर स्थिति है। आनंद मोहन की रिहाई मामले में उन्होंने कहा कि आयोग ने नोटिस जारी किया है और सरकार को नोटिस भेजा गया है बिहार सरकार से रिहा करने की स्थिति और कारणों की जानकारी मांगी गई है।

युवती की चाकू मारकर हत्या, आयोग ने किया निरीक्षण

दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में युवती साक्षी की हत्या मामले में संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस जारी किया। साथ ही मामले की गंभीरता को समझते हुए आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला के निर्देशानुसार आयोग के एक दल ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया।

माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने हत्या वाली जगह का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद आयोग के दल ने मृतक युवती के परिजनों से मुलाकात कर मामले की पूरी जानकारी ली।

निरीक्षण के बाद आयोग ने दिल्ली प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। माननीय उपाध्यक्ष ने मामले में पीओए एक्ट लगाने के निर्देश भी दिए।

ये था मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 मई को दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में साहिल खान ने नाबालिग युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और उसके सिर को एक बड़े पत्थर से कुचल दिया था। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने 29 मई को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास से गिरफ्तार किया था। घटना के सीसीटीवी फुटेज में साहिल को कथित तौर पर लड़की पर चाकू से कई बार वार करते हुए दिखा था।

स्थलीय निरीक्षण

अस्पताल में बलात्कार की शिकार महिला की मौत, आयोग ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

दिल्ली के एक अस्पताल में काम करने वाली 40 साल की महिला की मौत का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने एक दल गठित कर स्थलीय निरीक्षण के लिए भेजा।

आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही पीड़ित परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया।

आयोग ने दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही एवं पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक महिला के पुराने परिचित ने ही उसके साथ दरिंदगी की थी।

सोशल मीडिया से संज्ञान

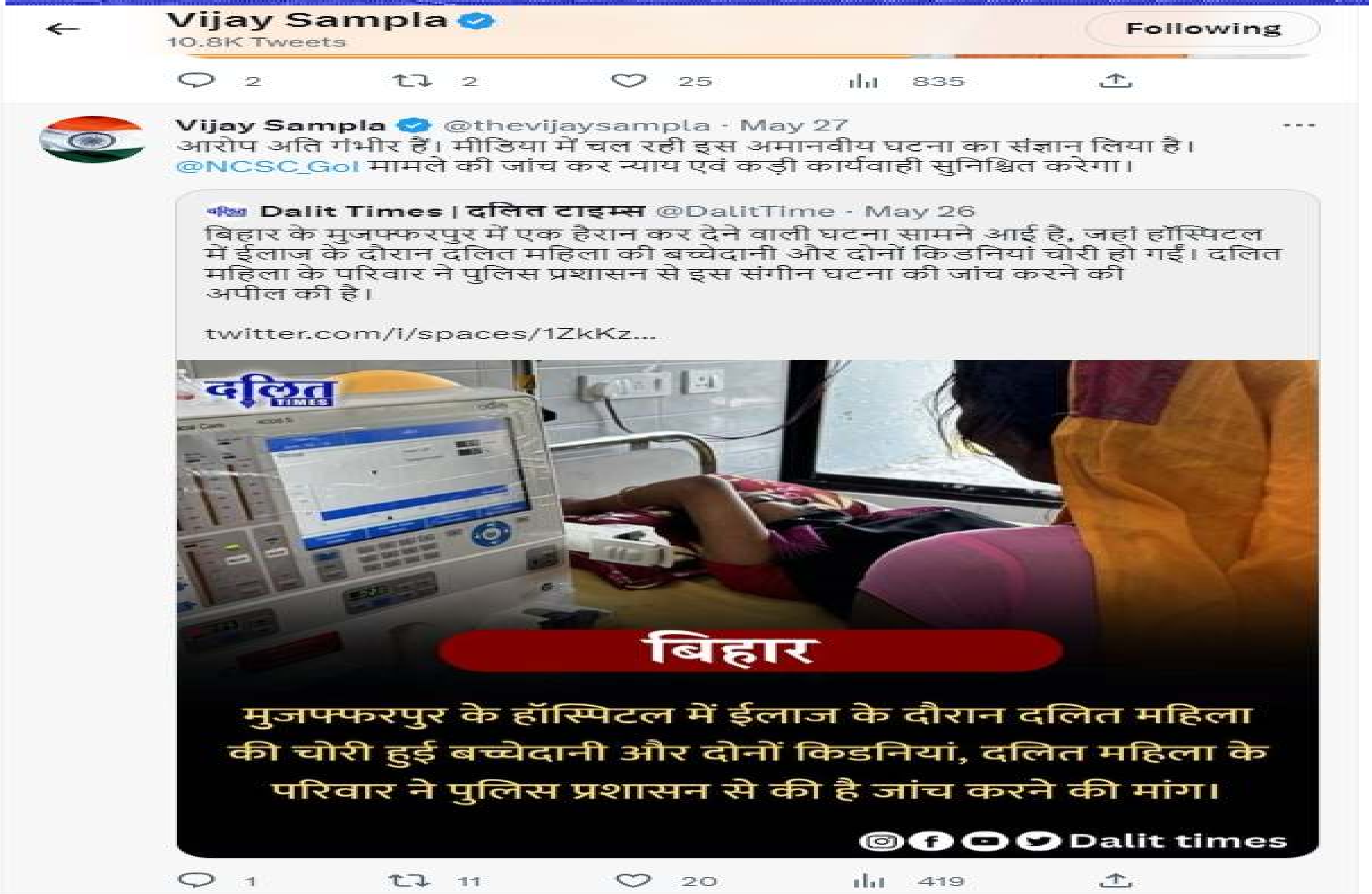

स्थलीय निरीक्षण

उचित कार्रवाई के दिए निर्देश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या मामले में संज्ञान लेते हुए स्थलीय निरीक्षण किया।

घटना स्थल पर पहुंचे माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार ने मृतक के परिजनों और पुलिस-प्रशासन से पूरे मामले की जानकारी ली। माननीय उपाध्यक्ष ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए।

सफल मामले

फाइल फोटो

आयोग की अनुशंसा पर होटल मालिक और प्रिंटर के खिलाफ कार्रवाई

आन्ध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के एक होटल में माननीय डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर छपी कागज की प्लेटों पर भोजन परोसने के मामले में आयोग में सुनवाई हुई।

आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने बताया कि सुनवाई के दौरान पुलिस ने आयोग को जानकारी दी कि मामले में की गई अब तक की कार्रवाई से आयोग संतुष्ट है। इसलिए अब इस मामले की फाइल को बंद कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि एससी-एसटी एक्ट व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295-A को आयोग के निर्देशानुसार जोड़ दिया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति के 18 युवकों पर की गई एफआईआर को भी निरस्त कर दिया।

राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि मामले में होटल मालिक और प्रिंटर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और 18 युवकों के विरुद्ध की गई एफआईआर को भी निरस्त कर दिया गया है।

ये था मामला

आयोग को पिछले साल 8 जुलाई को ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कोनासीमा जिले के एक होटल में अंबेडकर जी की तस्वीर वाली कागज की प्लेट पर खाना परोसा गया था। जब अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों द्वारा इसका विरोध किया गया, तो होटल मालिक ने 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। पुलिस ने अनुसूचित जाति के 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

NCSC seeks report on gurdwara property row

TIMES NEWS NETWORK

Chandigarh: The National Commission for Scheduled Castes (NCSC) on Wednesday issued a notice to the Bathinda administration to submit an action-taken report (ATR) into an incident in which over 60 armed people allegedly entered Gurdwara Shri Bunga Nanaksar Ravidasia Singha with swords and sticks earlier this week and forcibly tried to take the possession of the gurdwara.

The directions were issued by NCSC chairperson Vijay Sampla while taking a serious note of the complaint filed by the vice-president of the gurdwara, Jasvir Singh Mehraj.

The complainant mentioned that the gurdwara was established in 1946 by Sant Sadhu Ram Tibbe Wale and sentiments and faith of the Ravidasia Sikh community was attached to this place. "However, with an intention to forcibly take its possession, over 60 members of the SGPC from Damdama Sahib, Talwandi Sabo in Bathinda, entered Gurdwara Bunga Nanaksar Ravidasia Singha with sharp edged weapons (swords and sticks) and started beating sewadars. Due to this, many members of the gurdwara sahib suffered injuries and were admitted to the hospital," Mejraj added.

The commission asked the divisional commissioner, Faridkot region; inspector general of police, Bathinda region; and the Bathinda deputy commissioner and the SSP to investigate the matter and submit the action-taken report by May 31 through post or email.

Sampla also cautioned the officers that if action-taken report was not received within time, officers can be summoned before the commission in Delhi.

दैनिक भास्कर जालंधर 09-05-2023

गुरदासपुर के व्यक्ति ने अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दी है

मंत्री लाल चंद कटारूचक्क के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए एसआईटी गठित

मंत्री के जल्द लिए जाएंगे बयान

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक्क के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। पीड़ित ने दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को शिकायत दी है। पंजाब सरकार ने डीजीपी को जांच के आदेश दिए थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की अगुवाई बॉर्डर रेंज के डीआईजी नरेंद्र भार्गव करेंगे। गुरदासपुर के एसएसपी दयामा हरीश कुमार और पठानकोट के एसएसपी हरकमल सिंह खख इसके सदस्य होंगे। टीम जांच कर सरकार को रिपोर्ट देगी। राजपाल को कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा द्वारा सौंपे 2 वीडियो की जांच भी एसआईटी करेगी। मंगलवार को पीड़ित के बयान लेने प्रक्रिया शुरू होगी। पीड़ित का आरोप है कि 2013 से उसका यौन शोषण किया गया। एसआईटी जल्द ही मंत्री कटारूचक्क के भी बयान लेगी।

जान को खतरा बताने पर पीड़ित को दिए गए दो सुरक्षाकर्मी

पीड़ित द्वारा आयोग को शिकायत देने और अपनी जान को खतरा बताने के बाद उसको सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। पंजाब पुलिस के दो सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेंगे। यह सुरक्षा अगले आदेशों तक जारी रहेगी। बीते शनिवार पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारू चक्क की कथित यौन दुराचार वाली विवादित वीडियो की रिपोर्ट भेजी थी। सूत्रों के अनुसार वीडियो से छेड़छाड़ नहीं की गई है। उसमें दिखने वाले सभी किरदार सही हैं। गवर्नर ने वीडियो और शिकायत को मुख्यमंत्री के पास भेजकर कार्रवाई के लिए कहा था।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पहुंचे बोधगया, बुद्ध को नमन किया

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला तीन सदस्यीय दल के साथ शनिवार को बोधगया पहुंचे और महाबोधि मंदिर का दर्शन किया। इसके पहले महाबोधि...

हिन्दुस्तान

Newswrap • हिन्दुस्तान टीम,गया

Sat, 20 May 2023 07:10 PM

हमें फॉलो करें

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला तीन सदस्यीय दल के साथ शनिवार को बोधगया पहुंचे और महाबोधि मंदिर का दर्शन किया। इसके पहले महाबोधि मंदिर पहुंचने पर बीटीएमसी की ओर से सचिव एन दोरजी, सदस्य डॉ. अरबिंद सिंह ने खादा देकर उन्हें स्वागत किया। फिर वहां से सीधे महाबोधि मंदिर पहुंचे और मंदिर के गर्भगृह में जाकर बुद्ध के समक्ष मत्था टेका। मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान बुद्ध को नमन किया और पूजा-अर्चना की। पूजा करने के बाद वे बोधि पेड़ के नीचे कुछ पल ध्यान लगाया और भगवान बुद्ध से देश दुनिया के खुशहाली के लिए आशीष मांगा। बीटीएमसी के बौद्ध भिक्षुओं ने सूत्त पाठ कर मंदिर के गर्भगृह में पूजा-अर्चना कराया। इसके बाद विश्वशांति घंटा बजाया और शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा भगवान बुद्ध के ऐतिहासिक स्थल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बुद्ध के दर्शन कर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं सभी के खुशहाली और दुनियां में शांति की प्रार्थना भगवान बुद्ध से करता हूं।

दैनिक सवेरा टाइम्स

हथियारबंद लोगों ने सेवादारों पर हमला कर गुरुद्वारा बुंगा नानकसर पर जबरन किया कब्जा

एन.सी.एस.सी. ने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर बठिंडा प्रशासन से एटीआर जमा करने को कहा

अध्यक्ष विजय सांपला ने अधिकारियों को चेताया, यदि कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुई तो दिल्ली में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए सम्मन जारी होगा

सवेरा न्यूज/नरेश

विजय सांपला

चंडीगढ़, 17 मई : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी.एस.सी.) ने गुरुद्वारा श्री बुंगा नानकसर रविदासिया सिंघा रजिस्टर्ड के उपाध्यक्ष द्वारा की गई शिकायत (जिसमें उन्होंने कहा कि 60 से अधिक हथियारबंद लोगों ने गुरुद्वारे में घुस कर कब्जा करने की नियत से हिंसा की है) का कड़ा संज्ञान लेते हुए अपने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर बठिंडा प्रशासन को नोटिस जारी कर उनसे 'कार्रवाई की रिपोर्ट' तत्काल देने को कहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को लिखित शिकायत में गुरुद्वारा के उपाध्यक्ष जसवीर सिंह महाराज ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब की स्थापना 1946 में संत साधु राम टिब्बे वाले ने की थी। गुरुद्वारा साहिब से रविदासिया सिख समुदाय की भावना और आस्था जुड़ी हुई है लेकिन श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा के एसजीपीसी के 60 से अधिक सदस्यों ने जबरन कब्जा करने के इरादे से तेजधार वाले हथियारों (तलवार और लाठी) के साथ गुरुद्वारा बुंगा नानकसर रविदासिया सिंघा में प्रवेश किया और सेवादारों को पीटना शुरू कर दिया।

इससे गुरुद्वारा साहिब के कई सदस्यों को चोटें आई और वे अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच आयोग ने फरीदकोट क्षेत्र के संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक (बठिंडा क्षेत्र); बठिंडा के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (जिला बठिंडा) को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं और आरोप/मामले पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तथ्यों सहित पोस्ट या ईमेल के माध्यम से 31 मई तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सांपला ने अधिकारियों को चेताया कि यदि कार्रवाई की गई रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत उसे दी गई दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और दिल्ली में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए सम्मन जारी कर सकता है।

PUNJAB Edition
May 18, 2023 Page No. 3
Powered by : eReleGo.com

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख ने किया बिहार का दौरा, दलितों के कल्याण के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की

Edited By Swati Sharma, Updated: 19 May, 2023 11:05 AM

सांपला ने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन अनुसूचित जाति के सांसदों और विधायकों के अलावा राज्य सरकार के अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, "राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय पर किए गए अत्याचार और...

Top Stories

Big Breaking: Sidhu Moosewala हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का

Ayodhya Ram Mandir: आज धार्मिक अनुष्ठान के बीच हुआ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के

Bareilly: शादी में दुल्हन और दूल्हे का हाईवोल्टेज ड्रामा, मंडप छोड़कर फरार हुआ दूल्हा, 20 km

भारत में लॉन्च हुई Ferrari 296 GTS, 6.24 करोड़ रुपये है कार की कीमत

Show All

खबरों में आयोग

हाइस्कूल आते-आते 80% अनुसूचित जाति के बच्चे छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई

▫ केंद्रीय एससी आयोग के अध्यक्ष ने कहा- एससी की हत्या मामले में बिहार दूसरे स्थान पर

संवाददाता, पटना

हाइस्कूल तक आते-आते अनुसूचित जाति के 80 फीसदी बच्चे स्कूल ड्रॉपआउट हो जा रहे हैं. पूरे राज्य में 98.3 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग बीपीएल श्रेणी में हैं. अनुसूचित जाति की हत्या मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है. शुक्रवार को ज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने बताया कि दो दिनों तक अफसरों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक व योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये तथ्य सामने आये हैं. मौके पर आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर, सदस्य अंजू बाला, सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद थे.

तांती व ततवा को एससी में शामिल

मेरिट वाले एससी बच्चों का जेनरल में नहीं आ रहा रिजल्ट

आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने उनसे शिकायत की है कि नौकरी में मेरिट के लिए निर्धारित अंक लाने वाले बच्चों का रिजल्ट जेनरल श्रेणी में नहीं आ रहा है. छात्राओं के लिए सिर्फ छह ही छात्रावास होने पर सवाल उठाये. इसे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया. एससी के लिए बने 40 पुलिस स्टेशन के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और डीएसपी या एसपी स्तर के अधिकारी से मामले की जांच कराने की बात कही.

जाति को शामिल करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है. इस पर फिर से देखने को राज्य सरकार से कहा गया है.

1852 में 160 बैकलॉग पद ही भरे: आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि सेवा सुरक्षण में वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2020-21 तक कुल 1852 पद बैकलॉग थे, इसमें बिहार सरकार ने

ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡੀ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

- ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

[('SEXUAL MISCONDUCT' CHARGE]

Three-member SIT to probe allegations against minister

The SIT will be headed by DIG Narinder Bhargav, with Gurdaspur SSP Dayama Kumar and Pathankot SSP Harkamalpreet Khakh as its members

HT Correspondent

letterschd@hindustantimes.com

CHANDIGARH: Days after the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) issued a notice the Punjab government, the state bureau of investigation on Monday constituted a three-member special investigation team (SIT) to look into the allegations of sexual misconduct against food and civil supplies minister Lal Chand Kataruchak.

According to the Punjab Bureau of Investigation order, the SIT will be headed by deputy inspector general (DIG border range, Amritsar) Narinder Bhargav, with Gurdaspur senior superintendent of police (SSP) Dayama Harish Kumar and Pathankot SSP Harkamalpreet Singh Khakh as its members.

The SIT was constituted after NCSC chief Vijay Sampla on Friday issued a notice to the Punjab government seeking an action-taken report after receiving a complaint following an alleged objectionable video of Kataruchak.

"A special investigation team is hereby constituted to look into the matter and take appropriate action as per law. The SIT shall render assistance and support to the commission in investigation/inquiry into the matter," reads the bureau of investigation order. The bureau of investigation has also asked the SIT head to provide security to the complainant.

The SC commission had sent a notice to the state government asking it to investigate the allegations against the cabinet minister and submit the action-taken report immediately. In the notice, the NCSC also directed the chief secretary and the director general of police, Punjab, to provide security to the victim, who, in a video message and a complaint to the commission, also accused the minister of issuing threats to him and his family.

On May 1, Congress leader Sukhpal Singh Khaira handed over the "objectionable video" of the minister to governor Banwarilal Purohit for forensic verification. Khaira also demanded that the minister be dropped from the cabinet if the video was found genuine. However, Khaira did not name the minister while submitting the video.

The governor sent the video to the Chandigarh director general of police to check its authenticity. On Saturday, the governor forwarded a forensic report of the video to chief minister Bhagwant Mann. According to the report by the Chandigarh DGP, the video was not morphed.

GOVT SENDS INTERIM REPLY TO SC COMMISSION

The Punjab government on Monday informed the commission that the home department has been asked to look into the complaint of alleged sexual misconduct against Kataruchak. In an interim reply to NCSC, chief secretary VK Janjua said the additional chief secretary, home, has been asked to get the matter looked into by the police as to whether a cognisable offence is made out. The commission has also been informed that the home department has been asked to provide security to the victim. A detailed report would be sent within 15 days, the chief secretary said.

SIT mere eyewash, says Bajwa

JALANDHAR: Leader of Opposition Partap Singh Bajwa has termed the formation of three-member SIT mere eyewash.

"What is the need of constituting the SIT when the Chandigarh Police have already validated the authenticity of the video?" Bajwa questioned.

The SIT has been formed to hush up the whole matter, he added. "The CM should have dropped Kataruchak from the cabinet immediately," Bajwa said.

The Congress leader also Bajwa came in support of Khaira against whom a case was registered under non-bailable sections. "The case was registered after Khaira exposed the cabinet minister before the Punjab government. I want to tell the AAP government that Khaira would be the last man to be feared from such arm-twisting tactics of CM Mann. The Congress will protect and stand by Khaira," Bajwa added.

Monday, May 22, 2023

Outlook

LOGIN | SUBSCRIBE

HOME OUTLOOK INDIA NEWS BUSINESS BUDGET MONEY CRYPTO TRAVEL SPORTS VIDEOS ENTERTAINMENT PHOTOS

- Capturing the corporate pulse on ESG - Mapping alignment with evolving ESG regime - Identifying drivers for ESG ANNOUNCEMENT OUTLOOK ESGBHARAT SURVEY

HOME » NATIONAL

Bihar Ranks Second In Crimes Against Scheduled Castes, NCSC Chairman Expresses Concern

The specific details of these crimes were not disclosed, but Sampla criticized the Bihar government for its ineffective measures in addressing the issue, as revealed during a state-level review meeting where the administration's failure to deliver social welfare schemes to the SC community was also highlighted.

Vijay Sampla Twitter

Outlook Web Desk

UPDATED: 19 MAY 2023 10:35 PM

Vijay Sampla, Chairman of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), expressed concern over Bihar ranking second in the country for crimes against Scheduled Caste (SC) people. While he did not disclose the state topping the list, Sampla criticized the Bihar government for its failure to address the issue effectively. The specific details of the crimes against SC individuals in Bihar were not provided by Sampla.

During a two-day state-level review meeting, it became apparent that the administration had failed to deliver the benefits of social, economic, and welfare schemes to the SC community, as per the data presented by Bihar to the NCSC.

Sampla highlighted the alarming dropout rate of SC students in Bihar, with only 20 percent of SC children opting for secondary education. He criticized the government's indifferent approach towards SC education and urged the establishment of at least one hostel for SC girls in every district.

Latest Issue

Manipur

Manipur: The Burden Of Riots On Women And Children

The worst affected by the violent clashes in Manipur are women

ETV भारत बिहार Bihar

HOME / STATE / PATNA / NATIONAL SCHEDULED CASTE PRESIDENT VIJAY SAMPLA ATTACK ON BIHAR GOVERNMENT

Patna News : अनुसूचित जाति आयोग ने बिहार सरकार को फटकारा, विजय सांपला ने लगाए गंभीर आरोप

Updated: May 20, 2023, 6:27 AM | Published: May 19, 2023, 10:58 PM

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. राज्य में अनुसूचित जाति की स्थिति पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Guv forwarded forensic report to CM on May 6

▸ Continued from P 1

The NCSC headed by Vijay Sampla had on May 5 issued a notice to the Punjab chief secretary as well as the DGP asking them to submit an action taken report immediately. The commission for Scheduled Castes had also asked the officials to provide security to the victim.

MINISTER'S 'SEXUAL MISCONDUCT'

In this case, Punjab governor Banwarilal Purohit had on May 6 forwarded the forensic report of the purported objectionable video of the cabinet minister to chief minister Bhagwant Mann for further action against the minister. The report had ruled out that the video was morphed.

The victim, who belongs to the Scheduled Caste community, in his complaint to the NCSC had submitted, "Kataruchak had approached me by sending a friend request on Facebook in 2013-14, and when he accepted it, Kataruchak allegedly started making advances..."

बिहार राज्य के राज्यस्तरीय समीक्षा के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। साथ में आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार।

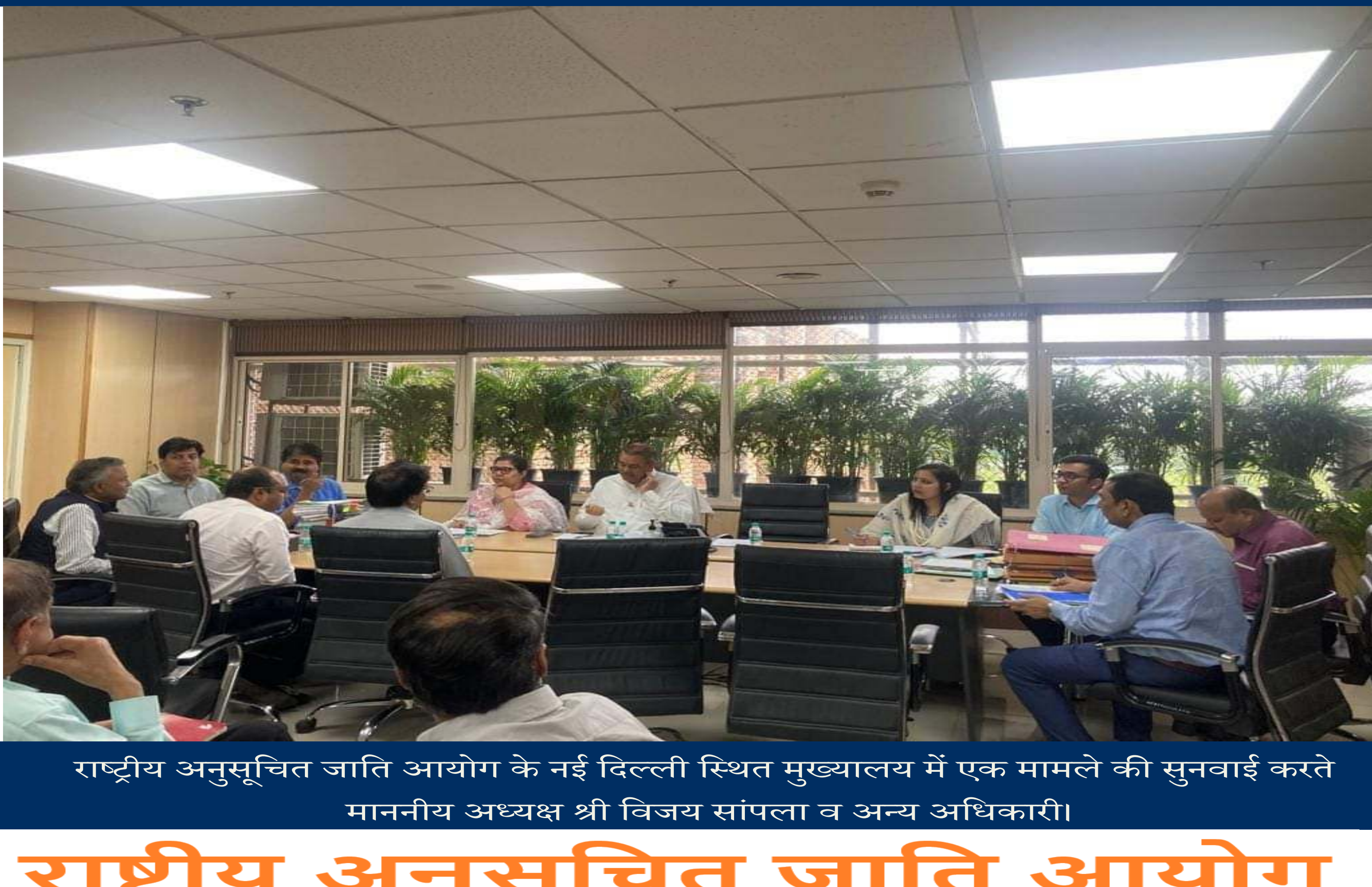

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक मामले की सुनवाई करते माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला व अन्य अधिकारी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली-110003